संख्या- 03/16/29/नौ-8-2016-96ज/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक : 04 फरवरी, 2016

विषय- प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल0ई0डी0 लाइटों/ ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-16-96ज/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल0ई0डी0 लाइटों/ ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नागर निकायों द्वारा भविष्य में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली एल0ई0डी0 लाइटें/ल्यूमिनेयर एवं एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाइटें, उच्च विशिष्टियों, वाटरप्रूफ तथा भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता निर्धारण हेतु आई0एस0आई0 माड्यूल तथा LM-79, IP-67 पर होना चाहिए तथा इन लाइटों एवं उससे सम्बन्धित अन्य उपकरणों के लिए आपूर्ति करने वाली कम्पनियों/फर्मों/संस्थाओं/सहकारी समितियों, जो

निकाय को इन विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ एल0ई0डी0 लाइटों/ल्यूमिनेयर/हाई मास्ट लाइटों की आपूर्ति हेतु बाजार दर से कम मूल्यों पर, कम से कम 05 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारण्टी/वारण्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध करें, उन्हीं फर्मों/ संस्थाओं/कम्पनियों/सहकारी समितियों से एल0ई0डी0 लाइटें/ल्यूमिनेयर/एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाइटें क्रय की जाय।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि एल0ई0डी0 लाइटों की गुणवत्ता एवं उनमें धूल एवं पानी का प्रवेश न होने के सम्बन्ध में निर्धारित आई.पी. रेटिंग सिस्टम के अन्तर्गत आई.पी.-67 के साथ-साथ आई.पी.-65/66 भी निर्धारित मानकों की पूर्ति करते हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल0ई0डी0 लाइटों/ ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निगर्त शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-16-96ज/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों में एल0ई0डी0 लाइटों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु **"आई.पी.-67"** के स्थान पर **"आई.पी.-65 अथवा आई.पी.-66 अथवा आई.पी.-67"** पढ़ा जाय। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2015 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

03/7/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-3/16/29 - (1) /नौ-8-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश।

4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।

5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

8- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

3/21/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।